

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई।
 वादीगण के वकील व परोकार सरकार लाभ व
 तहसीलदार बनेंगे उपस्थित। परोकार सरकार
 द्वारा जवाब दावा पेश किया गया। जिसे शामिल
 पत्रावली किया। उक्त पक्षों को सुना गया।
 पत्रावली एवं सुन पर उपलब्ध दस्तावेजों का
 शिक्का लगाया गया। जसल जमाबंदी सन् 1957
 से 2070 तक गांधी नयागांव तहसील
 अजमेरा में वादग्रस्त फारसी रकब $\frac{229}{1-55}$
 प॥ ५११ ५२६ ५२८ ५२९ ५३० ५३६ कुल
 ०-२८ ' ०-२९ ' ०-४९ ' ०-७७ ' ०-३७ ' ०-०६
 किता ७ कुल रकबा ३-५१ खमाणा दस्तक पुत्र
 शमा जाति मीना सादेह खातेदार राईन
 पंजाब नेशनल बैंक शाखा टोक दर्ज है।
 जिसे साक्षि रकब १८९, २१२, २१६, २१७, २१८,
 २१९, २२०, २२१, २२४, २२९ कुल किता ११ रकबा
 १३ बीघा पारसवा गांधी नयागांव शमा वल किता
 मीना सादेह की खातेदारी के दर्ज की
 नामांतरकरण संख्या २६८ गांधी नयागांव से खमाणा
 के खातेदारी के दर्ज शल भूमिमां वादीगण के
 नाम खातेदारी के दर्ज हो चुकी है इसी नामांतरकरण
 के द्वारा वादग्रस्त पक्षों में वादीगण का नाम दर्ज कर
 करा हुआ है परोकार सरकार ने भी अपने जवाब

उप उपस्थित अधिकारी
 अजमेरा जिला टोक

में वादीगण के बाद की दिक्की किये जाते हैं
कोई आपत्ति परसुत नहीं की है राष्ट्रीय लोक

आंदोलन की भावना को मध्य तजर रखते

हुमे वादीगण का वाद डिडी किया जागा

नमोभोगित है अतः वाद वादीगण डिडी किये

जाता है। आराजी रक न $\frac{229}{1-55}$, $\frac{411}{0-28}$, $\frac{426}{0-29}$,

$\frac{428}{0-89}$, $\frac{429}{0-07}$, $\frac{430}{0-37}$, $\frac{436}{0-06}$, कुल फिल 7

कुल रकबा 3-51 है इसके गाम नमागांव

तहसील उनिपारा का वादीगण को खातेदार

का अतः कार घोषित किया जाता है तहसील उनिपारा

का इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड में

दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते हैं।

पचा डिडी जारी हो परिसेन खर्च आपन

आपन बदन करी पत्रावली कलसमुपर टाकर

गम्बर के रूप है तथा दफ्तर दाखिल हो

म

उप निदेशिका
उनिपारा टाकर

प्रपत्र -5

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

उनवान

1. हनुमान प्रसाद पुत्र गोपीलाल माता कल्याणी जाति मीणा निवासी नयागांव तहसील उनियारा हाल निवासी गुलाबपुरा तह. जिला टोंक
2. बजरंगलाल पुत्र गोपीलाल माता कल्याणी जाति मीणा निवासी नयागांव तहसील उनियारा हाल निवासी गुलाबपुरा तह. जिला टोंक
3. बाबूलाल पुत्र गोपीलाल माता कल्याणी जाति मीणा निवासी नयागांव तहसील उनियारा हाल निवासी गुलाबपुरा तह. जिला टोंक
4. कैलाश पुत्र गोपीलाल माता कल्याणी जाति मीणा निवासी नयागांव तहसील उनियारा हाल निवासी गुलाबपुरा तह. जिला टोंक
5. मु० प्रेम पुत्री गोपीलाल माता कल्याणी जाति मीणा निवासी नयागांव तहसील उनियारा हाल निवासी गुलाबपुरा तह. जिला टोंक

— वादीगण

बनाम

1. राज० सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक
2. तहसीलदार उनियारा जिला टोंक

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत उदघोषणा , दुरुस्ती इन्द्राज

मुकदमा नम्बर :- 144 वर्ष 2014

वादी की ओर से बी०एल० कासलीवाल प्रतिवादीगण की और परोकार राज नायब तहसीलदार बनेठा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 12.12.2015 को श्री सुभाषचन्द शर्मा, आर०ए०एस० उपखण्ड अधिकारी उनियारा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि आराजी ख०न० 229/1.55, 411/0.28, 426/0.29, 428/0.89, 429/0.07, 430/0.37, 436/0.06 वाके ग्राम नयागांव तहसील उनियारा का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उनियारा को इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड को दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। यदि कीमत भूमि बकाया हो तो जमा करे। फरिकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12 माह 12 सन् 2015 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक